न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. ईदनसिंह
2. गोपी
3. विशन
4. गोविन्दसिंह
5. किशनसिंह
6. शिवचरण
7. फत्तेसिंह
8. नवलसिंह
9. बनेसिंह

(1–9) पि.राजधर

10. भगवानी पत्नि राजधर
11. किस्तूरी
12. रामो
13. किशनी

(11–13) पुत्रियां राजधर

सभी जातियान गूजर निवासीयान बोहरे का बेड़ा (डांडा) तहसील मासलपुर जिला करौली – अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–11.11.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 857 / 2, 857 / 5 रकबा क्रमशः 1–10, 3–00 बीघा ग्राम डांडा तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 857 रकबा 7–17 बीघा ग्राम डांडा सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नदी दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरकरण संख्या 85 व 435 के द्वारा रकबा क्रमशः 1–10 एवं 3–00 बीघा किस्म क्रमशः बारानी–3 व बारानी–1 से राजधर पुत्र श्री जोरावर निवासी डांडा(बोहरे का बेड़ा) के नाम दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में ईदनसिंह, गोपी, विशन, गोविन्दसिंह, किशनसिंह, शिवचरण, फत्तेसिंह, नवलसिंह, बनेसिंह पि.राजधर, भगवानी पत्नि राजधर, किस्तूरी, रामो, किशनी पुत्रियां राजधर जाति गूजर निवासी बोहरे का बेड़ा (डांडा) के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 857 / 2, 857 / 5 रकबा क्रमशः 1–10, 3–00 बीघा बाके ग्राम डांडा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नदी दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2071–74 नामांतरकरण संख्या 85 / 13.06.1975, 435 / 25.01.1985, 544 / 21.04.1990, 892 / 02.08.2004 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 जरिये वकालतन उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण संख्या 4 व 6 पहले स्वयं भी इस न्यायालय में उपस्थित हुए थे।

अप्रार्थीगण संख्या 11–13 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ना ही कोई जवाब पेश किया। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 ने कोई जवाब पेश नहीं किया। साथ ही पत्रावली पर No Instruction किया लेकिन वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 द्वारा अप्रार्थीगण को जारी किया गया कोई रजिस्टर्ड नोटिस, व्यक्तिगत तामील आदि पेश नहीं किया गया। इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 को जानबूझकर उपस्थित नहीं आना तथा प्रकरण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना माना जाकर एकपक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

वक्त बहस अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 857 रकबा क्रमशः 7–17 बीघा गै.मु. नदी दर्ज रिकॉर्ड है। नामांतरकरण संख्या 85 द्वारा 1–10 बीघा भूमि किस्म बारानी–3 एवं नामांतरकरण संख्या 435 द्वारा 3–00 बीघा भूमि किस्म बारानी–1 से राजधर पुत्र श्री जोरावर निवासी डांडा(बोहरे का बेड़ा) के नाम दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071–74 तक में ईदनसिंह, गोपी, विशन, गोविन्दसिंह, किशनसिंह, शिवचरण, फत्तेसिंह, नवलसिंह, बनेसिंह पि.राजधर, भगवानी पत्नि राजधर, किस्तूरी, रामो, किशनी पुत्रियां राजधर जाति गूजर निवासी बोहरे का बेड़ा (डांडा) के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. नदी दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन करके जमीन आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम डांडा की आराजी खसरा नंबर 857/2, 857/5 रकबा क्रमशः 1–10, 3–00 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नदी दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.11.29 14:03:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: